कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक – 5, 6 | मार्च 1–15, 2022, मार्च 16–31, 2022 (संयुक्त अंक) | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–10

चुनावों का इस्तेमाल सरमायदारों के राज को स्थिर करने के लिए

फ़रवरी–मार्च 2022 में जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे बताते हैं कि शासक वर्ग ने अपना तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले सरमायदार वर्ग ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश सहित बाकी सभी चार राज्यों में भाजपा को जिताया है।

ये चुनाव ऐसे समय पर हुए हैं जब मज़दूर, किसान और अन्य मेहनतकश अभूतपूर्व स्तर की आर्थिक कठिनाई, बेरोज़गारी और आजीविका की असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सी.ए.ए. के विरोध में प्रदर्शन, आम हड़तालों में मज़दूरों की बढ़ती भागीदारी, किसान आंदोलन का विकास और निजीकरण के ख़िलाफ़ हो रही कार्यवाइयों में विकसित होती एकता, ये सभी मिलकर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए ख़तरा पैदा करते हैं, जिसके ज़रिए सरमायदार राज करता है।

इन चुनावों से ठीक तीन महीने पहले, दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर किसानों को हटाने और उन्हें घर वापस भेजने में शासक वर्ग सफल रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि वह मज़दूरों तथा किसानों की आजीविका और अधिकारों पर हमला जारी रख सके और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी दे सके। साथ ही शासक वर्ग ने इन चुनावों का इस्तेमाल भाजपा के संसदीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी किया है ताकि मज़दूरों और किसानों को धोखा दिया जा सके।

टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य अरबपति इजारेदार पूंजीपति शासक वर्ग के मुखिया हैं। विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शक्तियों के सहयोग से वे चुनाव के नतीजे तय करते हैं। वे भारी धन शक्ति और राज्य तंत्र पर अपने प्रभुत्व, समाचार और सोशल मीडिया पर नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेराफेरी करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।

टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य अरबपति इजारेदार पूंजीपति शासक वर्ग के मुखिया हैं। विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी शक्तियों के सहयोग से वे चुनाव के नतीजे तय करते हैं। वे भारी धन शक्ति और राज्य तंत्र पर अपने प्रभुत्व, समाचार और सोशल मीडिया पर नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेराफेरी करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।

जहां तक इजारेदार पूंजीपतियों का सवाल है, भाजपा ने हाल के वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया गहरे संकट में है, हिन्दोस्तानी इजारेदार घरानों के मुनाफ़ों में भारी वृद्धि हुई है।

इस झूठे आधार पर कि वर्तमान व्यवस्था में चुनाव लोगों की राजनीतिक पसंद को दर्शाते हैं, चुनावों के परिणामों से हर प्रकार के ग़लत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कई बुर्जुआ पत्रकारों और तथाकथित विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पंजाबी बदलाव चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग कथित तौर पर योगी के नेतृत्व वाली भाजपा की सत्ता को जारी रखना चाहते हैं। कुछ अन्य लोगों का दावा है कि ये परिणाम "दक्षिणपंथी" राजनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। ये सभी निष्कर्ष ग़लत हैं क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में चुनावों के नतीजे जनता नहीं तय करती। चुनावों के परिणामों को शासक वर्ग निर्धारित करता है। परिणाम पूंजीपति वर्ग की योजना को दर्शाते हैं, न कि मेहनतकश जनसमुदाय की इच्छा या पसंद को।

इस सरमायदारी भ्रम कि लोग चुनाव के परिणाम तय करते हैं, इस धारणा से किये जाने वाले सभी तरह के समझौतों का हम कम्युनिस्टों को विरोध करने की ज़रूरत है। हमें इस विचार को ख़ारिज़ करना चाहिए कि संघर्ष पूंजीपति वर्ग के "दक्षिणपंथी" और "वामपंथी" खेमों के बीच है। मार्क्सवादी विज्ञान ने यह स्थापित किया है कि संघर्ष सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच है।

पूंजीपति वर्ग ने वर्तमान में "सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनने" की प्रणाली को बदलकर "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" करने के इर्द–गिर्द भ्रमित करने वाली बहस शुरू

शेष पृष्ठ 10 पर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नयी दिल्ली में उत्साहपूर्ण संयुक्त कार्यक्रम

8 मार्च, 2022 को दिल्ली के जंतर–मंतर पर अनेक महिला संगठनों ने मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

सैकड़ों की संख्या में, स्कूल और कालेज के छात्र, फैक्ट्रियों व दुकानों में काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार, आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, वकील और अलग–अलग प्रकार की कामकाजी महिलाएं और पुरुष सभा में उपस्थित थे।

"अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़िंदाबाद!", "महिलाओं पर हिंसा बंद करो!", "समान काम के लिए समान वेतन दो!", "बलात्कारियों को सज़ा दो!", "निजीकरण–उदारीकरण की नीतियां वापस लो!", "लेबर कोड वापस लो!", "धर्म–जाति पर हमें बांटना बंद करो!", "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा मुर्दाबाद!", "शोषण–दमन ख़त्म करेंगे, नया समाज बनायेंगे!", "एक पर हमला, सब पर हमला!", "शासन–सत्ता अपने हाथ, जुल्म–अन्याय करें समाप्त!" – जुझारू नारों के इस माहौल में कार्यक्रम को संचालित किया गया। इन और अन्य

नारों के बैनरों से सभा स्थल के चारों तरफ की दीवारें सजाई गयी थीं।

इस कार्यक्रम के संयुक्त आयोजक थे – नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन वीमेन (एन.एफ़.आई.डब्ल्यू.), अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा), पुरोगामी महिला संगठन, स्वास्तिक महिला समिति, जॉइंट विमेंस प्रोग्राम (जे.डब्ल्यू.पी.), संघर्षशील महिला केंद्र (सी.एस.डब्ल्यू.), प्रगतिशील महिला संगठन, एक्शन इंडिया और जागोरी।

नौजवान कार्यकर्ताओं ने कई उत्साहपूर्ण गीत पेश किये।

सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया।

महिला मज़दूरों के शोषण को और तीव्र करने वाले लेबर कोड की निंदा की गयी। लम्बे समय तक चले किसान आन्दोलन में महिलाओं की अहम भूमिका

शेष पृष्ठ 8 पर

अंदर पढ़ें

- महिलाओं का संघर्ष, शोषण मुक्त समाज की ओर 2
- अमरीका द्वारा यूक्रेन के लोगों का प्यादे के रूप में इस्तेमाल 3
- ठाणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 4
- पार्टी का बयान – महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ायें! 5
- किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा पर एम.ई.सी. की आठवीं मीटिंग 6
- सैनिक शासन के बीच मणिपुर में चुनाव 7
- यूनियन बनाने पर आई.टी.आई. के कर्मचारियों की बर्ख़ास्तगी 8
- अमरीकी साम्राज्यवाद की एशिया पर हावी होने की कोशिशों की सेवा में क्वाड एक हथियार 9

महिलाओं का संघर्ष, शोषण मुक्त समाज की ओर

मज़दूर एकता कमेटी ने 7 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक सभा आयोजित की। ऑनलाइन आयोजित की गई इस सभा का शीर्षक था – महिलाओं का संघर्ष, शोषण मुक्त समाज की ओर।

सभा में मुख्य वक्ता पुरोगामी महिला संगठन से थी। कई महिला संगठनों और मज़दूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सभा में भाग लिया। उनमें शामिल थे जमात–ए–इस्लामी हिंद की महिला शाखा से रहमतुनिस्सा बेगम; भारतीय किसान यूनियन एकता क्रांतिकारी की महिला शाखा से सुखविंदर कौर; मज़दूर एकता कमेटी से संतोष कुमार; तमिलनाडु बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन से टी. जयंती; जोशी–अधिकारी ट्रस्ट से जया मेहता; वकील सुमैया प्रवीण, जो तेज़ाब के हमलों से पीड़ितों और तेजाब के हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रही महिलाओं के साथ काम करती हैं; अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक समिति, (आई.एम.एस. एस.) से रितु कौशिक; लोक मोर्चा पंजाब से शिरीन; मज़दूर अधिकार संगठन से नवदीप कौर; संघर्षशील महिला केंद्र (सी. एस.डब्ल्यू.) से माया जॉन; लोक पक्ष से प्रमिला; वरिष्ठ शिक्षिका और कार्यकर्ता, रचना गर्ग; नौजवान किसान एकता चंडीगढ़ से राज कौर गिल; वनिता की संयोजक रंजना; अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से मैमूना मोल्लाह; नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन से रुश्दा; भारतीय किसान यूनियन एकता (उगराहां) से हरिंदर कौर बिंदू और स्वास्तिक महिला समिति से कुसुम।

मज़दूर एकता कमेटी की ओर से सभा का संचालन सुचरिता ने किया। महिलाओं के उद्धार के लंबे संघर्ष से पुरोगामी महिला संगठन ने जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हें एक विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति के ज़रिए पेश किया गया। हम इस रिपोर्ट के अंत में उस प्रस्तुति के मुख्य संदेश को प्रकाशित कर रहे हैं।

मुख्य प्रस्तुति के बाद कई सहयोगियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने महिलाओं पर हो रहे तरह–तरह के शोषण दमन का विवरण पेश किया और यह बताया कि महिलाएं बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष में आगे आ रही हैं। सी. ए.ए. और एन.आर.सी. के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी; किसान आंदोलन में लाखों–लाखों महिलाओं की भागीदारी; आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के एकजुट संघर्ष, सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष, लेबर कोड, जो महिलाओं से उन थोड़े से अधिकार भी छीन लेंगे जो उन्होंने संघर्ष करके अब तक जीता है, उनके ख़िलाफ़ संघर्ष; इन सबमें महिलायें आगे आकर संघर्ष कर रही हैं। वक्ताओं ने बताया कि यौन हिंसा, घरेलू हिंसा कार्यस्थल पर भेदभाव, इन सब पर हमें प्रकाश डालना चाहिए और इनके विरोध में संगठित होना चाहिए। इन सारे विचारों पर ज़ोरदार चर्चा हुई।

सभी वक्ता इस बात पर सहमत थे कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, पर महिलाओं का शोषण और दमन जारी रहा है। इसकी यह वजह है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था, जिसकी अगुवाई बड़े–बड़े इजारेदार कारपोरेट घराने करते हैं, इस व्यवस्था के चलते, सामंती और जातिवादी दमन समेत, महिलाओं के तरह–तरह के दमन को बरकरार रखा जाता है, ताकि पूंजीपति सभी मेहनतकश लोगों का शोषण करके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े बना सकें।

सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची की महिलाएं वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के चलते, अपना उद्धार नहीं हासिल कर सकती हैं। महिलाओं और पुरुषों को एकजुट होकर, एक ऐसी नई व्यवस्था के लिए संघर्ष करना होगा, जिसमें हम अपने जीवन के अहम फ़ैसले खुद ले सकेंगे और अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होगा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना न कि कारपोरेट घरानों की लालच को।

पुरोगामी महिला संगठन की प्रस्तुति

पुरोगामी महिला संगठन आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देता है – महिला दिवस महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न और अन्याय से पूरी मुक्ति के लिए संघर्ष का उत्सव है।

इस साल हम ब्रिटिश राज से आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि – क्या यह वास्तव में वही आज़ादी है जिसके लिए हमारे अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? उत्तर स्पष्ट है।

1947 में गोरे साहबों के हाथों से सत्ता भूरे साहबों के हाथों में हस्तांतरित कर दी गई थी। हमारे लोगों – पुरुषों और महिलाओं के पास उन मुद्दों पर निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है जो हमें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए निरंतर सब तरफ़ा प्रगति करने के बजाय, आज हम पाते हैं कि हिन्दोस्तान उन देशों में से है जिसमें मानव प्रगति के सबसे ख़राब सूचकांक हैं, चाहे वह भूख, स्वास्थ्य, पोषण, बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा आदि हो।

चाहे वह खाद्य, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षण या किसी भी सेवा का प्रावधान हो, राज्य लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को नज़र अंदाज कर पूंजीपतियों के भारी मुनाफ़े के लिए काम कर रहा है।

हर साल श्रम बल में करोड़ों लोग शामिल होते हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी नौकरियां बहुत कम हैं।

कोरोना महामारी के बाद, हालात और ख़राब हो गए हैं। जिनके पास नौकरियां हैं उनकी हालतें बहुत ख़राब हैं जैसे कि अधिक काम, कम वेतन, असुरक्षित नौकरी।

लोगों के अधिकारों पर तीव्र हमले हो रहे हैं। कुछ समुदायों और जातियों का सदस्य होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जाता है; अपनी ख़राब हालतों का विरोध करने के लिए लोगों को पीटा जाता है; जब वे अन्याय के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उन पर आतंकवादी या राष्ट्र–विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है।

सभी लोगों की हालत बुरी है, लेकिन महिलाओं की हालत और भी बुरी है। महिलाओं को नौकरी आखरी में दी जाती है लेकिन उन्हें नौकरी से सबसे पहले निकाला जाता है। समान काम के लिए उन्हें पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। अभी भी 80 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनकी गिनती कार्यबल में नहीं होती है। वे या तो दिहाड़ी मजदूर हैं जो घर पर काम कर रही हैं या सबसे ख़राब परिस्थितियों में ठेके पर काम कर रही हैं। या तो वे घर के काम की पूरी ज़िम्मेदारी उठा रही हैं जिस काम के लिये उन्हें कोई मूल्य नहीं दिया जाता है, लेकिन ये परिवार के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं।

इतना ही नहीं, महिलाओं पर शारीरिक हिंसा और बलात्कार का ख़तरा होता है। वे अभी भी पूंजीवाद द्वारा संरक्षित पितृसत्तात्मक पिछड़े रीति–रिवाज़ों से बंधी हैं ताकि उनके परिवारों के भीतर भी उनकी आवाज़ का कोई महत्व न हो।

हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजी हर चीज़ को वस्तु बनाकर उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहती है। महिलाओं को बदनाम किया जाता है और उनके स्वाभिमान को छीना जाता है। जो लोग शक्तिशाली राजनीतिक पदों पर हैं, वे महिलाओं के प्रति सबसे पिछड़े विचारों का खुलकर समर्थन करते हैं। 2019 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि हर दिन बलात्कार के औसतन 88 मामले सामने आते हैं!! हिन्दोस्तान में महिलाएं और लड़कियां बिलकुल सुरक्षित नहीं हैं। डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां यौन तस्करी का शिकार हैं; 25–45 वर्ष के बीच की महिलाएं इस अवैध व्यापार का शिकार सबसे अधिक हैं।

हालांकि, महिलाओं ने हर तरह के उत्पीड़न और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और लड़ना जारी रखा है। सिर्फ दो साल पहले ही, हिन्दोस्तानी महिलाओं ने संगठन करने की अपनी क्षमता और न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के जज्बे का प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने सी.ए.ए. के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का बीड़ा उठाया था। सी.ए.ए. जो सामान्य रूप से ग़रीब लोगों और विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित करता है। अन्यायपूर्ण कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ महिलायें लाखों की संख्या में आगे आईं। आप हर दूसरे दिन आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मज़दूरों के रूप में पहचाने जाने के लिए संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। नर्स, डॉक्टर और शिक्षक के रूप में काम करने वाली महिलाएं वेतन और अन्य मांगों के लिए, अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं। बिजली क्षेत्र, बैंकों, एल.आई.सी. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में काम करने वाली महिलाएं और पुरुष, इजारेदार अरबपतियों को और समृद्ध करने के लिए हर लाभदायक क्षेत्र और उद्यम का निजीकरण करने के सरकार के प्रयासों का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

जबकि हिन्दोस्तान में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति, तथाकथित उन्नत देशों की तुलना में बहुत ख़राब है, परन्तु यह भी सच है कि वहां के लोग भी भूख, आसानी से रोकी जा सकने वाली बीमारियों और यहां तक कि ठंड से मर जाते हैं। उन देशों में भी अमीर और ग़रीब के बीच की खाई तेज़ी से बढ़ रही है।

तो ऐसा क्यों है कि लोगों को और ख़ास करके महिलाओं को, हर चीज और हर हक़ के लिए लड़ना पड़ता है? इस सवाल का जवाब सौ साल पहले कामकाजी महिलाओं ने दिया था, जिन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग का शासन है। उन्होंने घोषणा की कि साम्यवाद में ही मज़दूर वर्ग की मुक्ति होगी, महिलाओं की पूर्ण मुक्ति का रास्ता भी वही है। उन्होंने अपना लक्ष्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और समाजवाद द्वारा साम्यवाद की स्थापना को इसकी तरफ बढ़ने के पहले चरण के रूप में निर्धारित किया।

हमारे संगठन पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.) को 1980 में युवा लड़कियों और महिलाओं ने स्थापित किया था, जिनमें से कुछ छात्रायें थीं। उन्होंने पहचाना कि नारीवाद की प्रवृत्ति, जिसे उस समय बढ़ावा दिया गया था, इस गलत धारणा पर आधारित थी कि पुरुष महिलाओं के दुश्मन हैं। उन्होंने यह पहचाना की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संस्थापक जानते थे कि पूंजीवाद ही महिलाओं तथा पुरुषों की समस्याओं की जड़ है। वे जान गए थे कि मुक्ति की राह पर उन्हें महिलाओं को संगठित करना होगा और शोषण और अन्याय के खिलाफ हर आंदोलन में शामिल होना होगा। कोई भी सामाजिक बदलाव संगठित होने से ही मुमकिन है। इसलिए, संघर्षों में भाग लेते हुए, हमने सदस्यों को बढ़ाने के साथ–साथ लक्ष्य के बारे में जागरुकता बढ़ाने के मामले में अपने संगठन को मजबूत किया।

पी.एम.एस. ने मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में कपड़ा मिल मज़दूरों के बीच, चॉलों और बस्तियों में पानी और स्वछता के लिए, झोपड़ियों को तोड़े जाने के ख़िलाफ़ तथा नर्सों, डाक्टरों और टेलिफोन आपरेटरों, आदि के सभी संघर्षों में भाग लिया है। तमिलनाडु में किसानों और बागान श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष में भाग लिया है। देश में कई जगहों पर उत्तर–पूर्व और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनयम के ख़िलाफ़ संघर्ष में हिस्सा लिया है और हमने अन्य संगठनों के साथ मिलकर सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ एक शक्तिशाली आवाज़ उठाना जारी रखा है और उन लोगों के लिए सज़ा की मांग की है जो इन नरसंहारों के आयोजन के लिए ज़िम्मेदार थे, चाहे वह 1984, 1993, 2003 या दो साल पहले दिल्ली में हो।

1991 में शुरू किए गए उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ संघर्ष में हम सबसे आगे रहे हैं। असामाजिक कार्यक्रम के एकजुट विरोध में और अर्थव्यवस्था के एक मौलिक पुनः उन्मुखीकरण की मांग की जो लाखों कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के हितों की सेवा करेगा, न कि सबसे अमीर हिन्दोस्तानी और विदेशी अल्पसंख्यक पूंजीपतियों के हितों की। हिन्दोस्तान में महिला आंदोलन ने साम्राज्यवाद और अमरीकी साम्राज्यवाद के युद्ध का लगातार विरोध किया है। हम उन लाखों लोगों में शामिल थे, जो हिन्दोस्तानी

शेष पृष्ठ 4 पर

अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन के लोगों को प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है

जब से शीत युद्ध और दुनिया का दो ध्रुवों में बंटवारा समाप्त हुआ है, उस समय से अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी प्रधानता के तले, एक–ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने की अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। इस समय अमरीका अपनी इस रणनीति को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन के लोगों को प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

अमरीका यह नहीं चाहता है कि यूक्रेन और रूस की सरकारें आपस में वार्ता करके, अपनी आपसी समस्याओं को हल कर लें। इसके बजाय, अमरीका और उसके नाटो मित्र यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खूब सारे हथियार दे रहे हैं। जाना जाता है कि यूरोप और उत्तरी अमरीका के अलग–अलग देशों से 20,000 से अधिक "वालंटियर" सैनिक यूक्रेन की सेना के साथ जुड़ गए हैं। उनमें से अधिकतम सैनिक बहुत ही उच्च प्रशिक्षण वाले सैनिक हैं। अमरीका के कई थिंक टैंक इस उम्मीद को प्रकट कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन में लड़ते–लड़ते वहां फंस जाए, ठीक जिस प्रकार सोवियत संघ 1980 के दशक में अफगानिस्तान में फंस गया था। अमरीका को यूक्रेन के उन लाखों–लाखों लोगों की कोई परवाह नहीं है जिन्हें अपना घर–बार छोड़कर भागना पड़ा है और पोलैंड तथा यूरोप के दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। अमरीका को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जंग को लंबा खींचने का अंजाम यूक्रेन, रूस और बाकी यूरोप के लोगों के लिए कितना भारी पड़ेगा।

अमरीकी प्रचार तंत्र दिन–रात रूस–विरोधी प्रचार करता रहता है। अमरीकी कंपनी मेटा, जो फेसबुक का मालिक है, उसने यह घोषणा की है कि वह रूस और बेलारूस के राष्ट्रपतियों की हत्या का आह्वान करते हुए संदेशों को फैलाने की पूरी इजाज़त देगी। अमरीका की कंपनियों ने रूसी समाचार माध्यमों को ब्लाक कर दिया है। जब रूस ने अमरीका द्वारा यूक्रेन में जैव हथियार बनाने के ख़िलाफ़, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ बैठक करने की मांग की, तो अमरीकी राष्ट्रपति रूस पर, यूक्रेन में रसायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने की योजना बनाने का आरोप लगाने लगे। दूसरे देशों पर अपने हमले को जायज़ ठहराने के लिए झूठ बोलने का अमरीका का लंबा इतिहास है। हम यह नहीं भूल सकते कि किस प्रकार अमरीका और ब्रिटेन ने इराक पर हमले और उस देश को नष्ट करने के अपने घिनावने कारनामों को जायज़ ठहराने के लिए यह झूठा प्रचार फैलाया था कि इराक के पास रसायनिक अस्त्रों का भंडार है।

अमरीका और उसके नाटो मित्र यूरोप में इस बहुत ही ख़तरनाक स्थिति को पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। अमरीका बड़े सुनियोजित तरीक़े से नाटो की सीमा को पूर्व की तरफ धकेलता रहा है। अमरीका ने उन सभी समझौतों का हनन किया है, जो उसने सोवियत संघ के साथ और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के साथ, इस मुद्दे पर किए थे। 1991 से नाटो को 5 बार विस्तृत किया गया है और अब नाटो में 30 सदस्य देश हैं। 2008 में नाटो ने यह प्रस्ताव रखा कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी उसके सदस्य बनाए जायें। यह रूस को मंजूर नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमरीका की

सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो का विस्तार

अगुवाई में नाटो सैनिक यूरोप में रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगे। रूस ने यह मांग की है कि उसकी अपनी सुरक्षा से संबंधित इन सारी चिंताओं पर बातचीत की जाए। रूस ने यह मांग की है कि अमरीका पूर्व की ओर नाटो का विस्तार करना बंद कर दे।

प्रतिबंध

अमरीका और उसके यूरोपीय मित्रों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें रूस द्वारा ऊर्जा के आयातों पर अमरीका ने अब रोक लगा दी है, ये अब तक किसी प्रमुख आर्थिक ताक़त के ख़िलाफ़ लागू किए गए प्रतिबंधों में सबसे कठोर प्रतिबंध हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री ने इन प्रतिबंधों को "सर्व व्यापक आर्थिक और वित्तीय जंग" की परिभाषा दी है। इन प्रतिबंधों को अमरीका ने एकमत से लागू किया है। न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, इस पर कोई मंजूरी प्राप्त की गई है।

अमरीका दूसरे देशों पर प्रतिबंध इसलिए थोप सकता है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में विनिमय की मुद्रा के तौर पर, अमरीकी डॉलर हावी है। रूस पर लगाये गए प्रतिबंधों का असर न सिर्फ रूस पर पड़ेगा, बल्कि उन सभी देशों पर भी, जो उसके साथ व्यापार करते हैं, जिनमें जर्मनी, हिन्दोस्तान और चीन भी शामिल हैं।

अमरीका ने रूस के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं और अमरीकी वित्त व्यवस्था में रूस के सेंट्रल बैंक के जमा धन की लेन–देन पर रोक लगा रखी है। यूरोपीय संघ ने भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इनकी वजह से रूस अपने 630 अरब डालर रिज़र्व को किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रूस के 2 सबसे बड़े बैंक, स्बर बैंक और वी.टी.बी. बैंक तथा रूसी तेल और गैस कंपनी गैज़प्रोम को निशाना बनाया गया है। अमरीकी वित्त व्यवस्था में उनके सभी संसाधनों की लेन–देन पर रोक लगा दी गई है।

अमरीका और यूरोपीय संघ ने रूसी बैंकों को स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटर बैंक फाइनेंसियल टेलीकम्यूनिकेशन) से हटा दिया है। स्विफ्ट एक ऐसी मेसेजिंग सर्विस है, जिसके सहारे दुनिया के अलग–अलग देशों के बैंक एक–दूसरे को भुगतान के संदेश भेजते हैं और संदेश पाते हैं। रूस में लगभग 70 प्रतिशत बैंक ट्रांसफर में इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।

यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि जबकि रूस को स्विफ्ट से हटा दिया गया है, तो यूरोपीय संघ ने इस बात का ध्यान रखा है कि अन्य देशों के रूस से प्राकृतिक गैस के आयातों पर कोई प्रतिबंध न लगाए जाएं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2021 में यूरोपीय संघ प्राकृतिक गैस की अपनी संपूर्ण ज़रूरत का लगभग 40 प्रतिशत रूस से आयात करता था। अमरीका यह मांग करता आया है कि जर्मनी रूस से प्राकृतिक गैस खरीदना रोक दे, और इसके बजाय, अमरीका से अपनी प्राकृतिक गैस ख़रीदे। अब तक जर्मनी रूस से ही अपनी गैस खरीदता आ रहा है।

रूस पर अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कई देशों को मजबूर होकर वैकल्पिक रास्ते तय करने पड़ रहे हैं, जिनके सहारे वे अमरीकी डालर का इस्तेमाल किए बिना, रूस के साथ अपना व्यापार जारी रख सकते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि हिन्दोस्तान की सरकार रूस के साथ रुपए और रूबल में व्यापार करने के बारे में विचार कर रही है। चीन और रूस अपने आपसी व्यापार को युआन और रूबल में करने की योजना बना रहे हैं।

निष्कर्ष

अमरीका पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन में जंग लंबे समय तक खिंचता जाए। अमरीका यह उम्मीद कर रहा है कि इस तरह रूस और यूक्रेन दोनों, एक दूसरे को थका देंगे और साथ ही साथ जर्मनी व यूरोप के अन्य देश भी कमजोर हो जाएंगे। रूस को कमजोर करने और यूरोप पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व मजबूत करने की अपनी इस रणनीति को लागू करने में, यूक्रेन के लोगों को प्यादे बनाकर, अमरीका उन्हें दुःख–दर्द और तबाही में धकेल रहा है।

एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पैदा हो रही है। यह अमरीका की, सारी दुनिया को अपने वर्चस्व और नियंत्रण में लाने की कोशिशों का नतीजा है। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यूक्रेन में चल रही जंग बाकी यूरोप में भी फैल जाए।

हिन्दोस्तान के लोगों को अमरीकी साम्राज्यवाद के झूठे प्रचार पर यक़ीन नहीं करना चाहिए, कि वह यूक्रेन के लोगों के हित में काम कर रहा है। हिन्दोस्तान के लोगों को यूक्रेन और रूस के बीच की समस्या के, अमरीकी साम्राज्यवाद की दखलंदाज़ी के बिना, शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21906

2014 में अमरीका ने यूक्रेन की निर्वाचित सरकार को बलपूर्वक गिराकर, वहां आकस्मिक राज्य परिवर्तन करवाया था। उन्होंने सत्ता पर नव–नाज़ियों और उक्रेन के कुछ ऐसे कुलीनों को बिठाया था, जो अमरीका की रूस–विरोधी रणनीति में, अमरीका के साथ मिलीभगत करना चाहते थे। उस समय से लेकर आज तक, यूक्रेन में जो भी सरकार आई है, उसने अमरीका के साथ अपने सैनिक और रणनैतिक गठबंधन को क्रमशः मज़बूत किया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन को किसी भी समय नाटो सैनिक गठबंधन का सदस्य बनाया जाना था। इन सारी बातों से यह साफ़ हो जाता है कि यह अमरीका ही है जिसने यूक्रेन में संकट को भड़काया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके नाटो मित्र ज़ोर–ज़ोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि वे राष्ट्रों के आत्म–निर्धारण के अधिकार की हिफ़ाज़त करते हैं, कि वे दूसरे देशों और लोगों की संप्रभुता का आदर करते हैं। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। अमरीका और उसके नाटो मित्रों ने लगातार उन सभी देशों और लोगों, जो अपनी पसंद के आर्थिक और राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनकी संप्रभुता को पांव तले कुचलने की कोशिश की है। वे अमरीका और उसके मित्र ही हैं, जिन्होंने युगोस्लाविया, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया की संप्रभुता का घोर हनन किया है। आज अमरीका और ब्रिटेन का यह मांग करना कि रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर निकाल दिया जाये क्योंकि उसने यूक्रेन की संप्रभुता का हनन किया है, यह पाखंड की हद है। इसी अमरीका ने ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर, "रजामंद देशों के गठबंधन" की स्थापना करके, 2003 में इराक पर हमला किया और उस देश पर कब्ज़ा कर लिया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सरासर हनन था।

अमरीका और ब्रिटेन यूक्रेन में युद्ध से भागने वाले शरणार्थियों के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के लोग भूल जायें कि अमरीका ने सर्बिया, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया पर बम बरसा कर वहां किस प्रकार की तबाही मचाई थी। वे चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि उन्होंने कैसे इन देशों के करोड़ों–करोड़ों लोगों को शरणार्थी बना दिया था।

ठाणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया

6 मार्च को रविवार के दिन ठाणे (महाराष्ट्र) में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–2022 बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय महिला फेडरेशन (ठाणे कमेटी), पुरोगामी महिला संगठन, जमात–ए–इस्लामी हिंद (ठाणे), सतगुरु तेरी ओट ट्रस्ट (गुरुद्वारा प्रबंधक, वाघबील, ठाणे) और श्रमिक जनता संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

कार्यक्रम में लगभग सौ महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने भाग लिया, जिसके कारण हॉल भरा हुआ था। भाषणों के साथ–साथ गीत भी पेश किये गये। पुरोगामी महिला संगठन की तृप्ति ने प्रतिभागियों का स्वागत किया जिसके बाद, भारतीय महिला फेडरेशन (ठाणे कमेटी) से एडवोकेट अनुराधा परदेशी; जमात–ए–इस्लामी हिंद (ठाणे) से सना नायक और समीना बेग; पंजाब नेशनल बैंक की यूनियन लीडर और ए.आई.बी.ई.ए. की कार्यकर्ता बिजी मैथ्यू; श्रमिक जनता संघ से स्वाति सावंत और कामगार एकता कमेटी के संयुक्त सचिव गिरीश भावे ने सभा को संबोधित किया। सतगुरु तेरी ओट ट्रस्ट की बीबी दविंदर कौर बीमार थीं, इसलिए बैठक में शामिल न हो सकीं, उनका संदेश एक ऑडियो के माध्यम से साझा किया गया। पुरोगामी महिला संगठन की एक युवा कार्यकर्ता ने "महिलाओं का संघर्ष, एक शोषण मुक्त समाज के लिए" शीर्षक से एक पावर प्वाइंट प्रस्तुत किया।

भाषणों और प्रस्तुति में कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में बात रखी गई। महिलाओं ने एक सदी से भी अधिक समय से विभिन्न संघर्ष किए हैं। इनमें से कई का नेतृत्व कम्युनिस्टों ने किया था, जिन्होंने समझाया कि महिलाओं की मुक्ति का संघर्ष और समाजवाद के लिए संघर्ष साथ–साथ चलते हैं। मज़दूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोग महिलाओं के उत्पीड़न और दमन को खत्म किए बिना शोषण से मुक्त, सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। दूसरी ओर, महिलाओं को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि मेहनतकश लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में न ले लें। यह तभी हो सकता है जब अर्थव्यवस्था की दिशा को पूंजीपतियों की अमिट लालच को पूरा करने के रास्ते से बदला जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि मज़दूरों और अन्य मेहनतकशों की भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए।

प्रस्तुति के कई हिस्सों में व्याख्या की गई थी कि 1917 में रूस में क्रांति के बाद सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर.) में उठाए गए ठोस क़दमों ने सुनिश्चित किया कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग ले सकें। सभी क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता प्रदान करने वाले क़ानून बनाए गए। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए विशेष क़दम उठाए गए। इन क़दमों में शामिल थे – बच्चों की देखभाल के लिये नर्सरी, कैंटीन, लॉन्ड्री, स्कूल, कॉलेज और काम की जगहों पर बच्चों की देखभाल करने के लिये क्रेश, आदि ये सभी राज्य द्वारा स्थापित किए गए और ये सभी बेहद सस्ती दरों पर बेहतर सेवा प्रदान करते थे। यह केवल इसलिए संभव हो सका, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के शासन को उखाड़ फेंका गया था और सत्ता मज़दूर वर्ग और किसानों के हाथों में थी।

आज हिन्दोस्तान में लोगों की स्थिति भयानक है, मानव प्रगति के प्रत्येक सूचकांक में हमारा देश सबसे नीचे है और महिलाओं की स्थिति पुरुषों से भी बदतर है। तथाकथित विकसित देशों में भी महिलाएं समान नहीं हैं और कामकाजी लोगों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अमीर और ग़रीब के बीच की खाई दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। इन सभी देशों की सामान्य विशेषता यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था क़ायम है, सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथ में है और अर्थव्यवस्था निजी लाभ को अधिकतम करने की दिशा में चलाई जाती है।

विभिन्न वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं को अपनी बेटियों को शिक्षित करने पर ज़ोर देना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। सभी के लिये जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने की अपनी ज़िम्मेदारी से सरकार मुकर जाती है। दमन के स्रोत के बारे में हमें अपनी समझ बढ़ानी होगी। पूंजीवाद ही नारी मुक्ति की राह में रोड़ा बनकर खड़ा है।

शेष पृष्ठ 5 पर

पुरोगामी महिला संगठन की प्रस्तुति

पृष्ठ 2 का शेष

राज्य के विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए साम्राज्यवादी सरदारों क्लिंटन और बुश की यात्राओं का विरोध करने के लिए दिल्ली, मुंबई और पुणे की सड़कों पर निकले थे। पी.एम.एस. उन संगठनों में से एक था जिसने अमरीकी साम्राज्यवादियों के इशारे पर इराक में सेना भेजने की सरकार की योजना के ख़िलाफ मुंबई में हजारों लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए थे। हमने बलात्कार के ख़िलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया – 2012 में निर्भया के मामले में और 2018 में भिवंडी में, जहां इसके कार्यकर्ता आसिफा और अन्य के बलात्कार के खिलाफ दस हजार की जोरदार रैली आयोजित करने वालों में शामिल थे – आप इसे तस्वीरों में देख सकते हैं। पी.एम.एस. की सदस्यों ने छात्रों और शोधार्थियों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी है।

आज हम निजीकरण विरोधी सर्व हिन्द मंच के सक्रिय सदस्य हैं। इस मंच में 80 फेडरेशनों, ट्रेड यूनियनों और एसोसियेशनों के लोग फोरम से जुड़े हैं। और ये फोरम निजीकरण विरोधी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जब हम महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की मांग करते हुए सड़कों पर उतरीं, तो शासकों ने वादा किया कि हर महिला माइक्रो–क्रेडिट लेकर और व्यवसाय शुरू करके अमीर बन सकती है! महिलाएं केवल माइक्रो–क्रेडिट संस्थानों की गहरी ऋणी हो गईं। आज, हम उद्यमी बनने के बारे में वही कपटपूर्ण प्रचार सुनते हैं। परजीवी पूंजीवाद की इस व्यवस्था के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं हो सकता है।

संघर्ष के हमारे पूरे अनुभव से यह साफ़ नज़र आता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं की मुक्ति मुमकिन नहीं है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की योजना सिर्फ निजी मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। इसलिए आज जब लोग कोरोना महामारी के दौरान ज़िन्दा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है कि पूंजीपतियों की संपत्ति क्यों बढ़ती जा रही है।

जब अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो सत्ता एक राजनीतिक वर्ग के हाथों में स्थानांतरित कर दी गई जो पूंजीपतियों की सेवा करेगा। राज्य के संस्थानों ने अपने मौलिक स्वरूप को नहीं बदला।

प्रत्येक मज़दूर को शक की नज़रों से देखने के लिए राज्य की पुलिस और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

क्या आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को, ख़ासकर महिलाओं को पुलिस स्टेशन में सुरक्षित महसूस होता है? नहीं। अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठा रहे मजदूरों, किसानों और कामकाजी लोगों के आंदोलन को पुलिस दबाती है। लेकिन वह पूंजीपतियों और उच्च स्तरीय अफसरों की रक्षा करती है हालांकि ये भी अपराधी हैं।

और कितने आम लोग अदालत से न्याय पा सकते हैं? क्या हमारे लिये इतने पैसे और वक़्त खर्च करना संभव है? क्या उन्हें अदालतों में दिन–ब–दिन बिताने का समय मिल सकता है – तारीख पे तारीख? कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। क्या उस महिला को न्याय मिला? क्या उसे न्याय मिलना मुमकिन भी था – क्योंकि उस चीफ जस्टिस ने अपने आप को ही समिति का मुखिया बना लिया था।

जब हमें किसी काम के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, तो क्या वहां हमारा स्वागत होता है? क्या वे हमारी बात सुनते हैं? लेकिन यही अफ़सर उन मंत्रियों को सलाम करते हैं जो टाटा और बिरला के आदेश पर काम करते हैं।

साथियों, हमने अनुभव किया है और समझा है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है, वह हमारे लिए नहीं है। यह सबसे अमीर पूंजीपतियों के लिए है। 1950 में हमें जो मिला वह वोट का अधिकार था। हमें अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने का अधिकार, क़ानून बनाने का अधिकार, अन्यायपूर्ण क़ानूनों को रद्द करने का अधिकार नहीं मिला।

देश में लाखों लोग बलात्कारियों को सज़ा दिलवाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उन्हें कोई सज़ा नहीं होती।

लाखों किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं और उन्हें करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कोई तंत्र है?

करोड़ों मज़दूर लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई तंत्र है जिससे सरकार हमारी बात सुने और हमारी मांगें पूरी करे?

लोगों के पास अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति नहीं है। हमें बस अलग–अलग स्तर पर वोट देने का अधिकार है। लेकिन चुनाव व्यवस्था ऐसे निर्धारित की गई है कि सिर्फ जानी–मानी पार्टी के उम्मीदवार को ही जीतने का मौका है। पूंजीपति जानते हैं कि वे इन पार्टियों द्वारा अपना अजेंडा पूरा कर सकते हैं वे आज तक यही करते आ रहे हैं। दूसरी ओर, बड़े पैमाने पर लोग उन्हें अपराधी, जन–विरोधी दलों के रूप में पहचानते हैं।

ये कौन लोग हैं? ये कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां हैं जिन्हें पूंजीपतियों से धन मिलता है और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि वे लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चुनाव कराकर, संसदीय बहसों और न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से एक बड़ा नाटक किया जाता है जैसे कि ये सभी संस्थाएं लोगों के हित में काम कर रही हैं।

हम संघर्ष के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए राज्य विधानसभाएं और संसद, जो सबसे बड़े इजारेदारों के हितों की सेवा करती हैं, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होने से महिलाएं इस प्रणाली में राजनीतिक सशक्तिकरण हासिल नहीं कर सकती हैं।

महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं के रूप में और हमारे देश के मेहनतकश लोगों के हिस्से के रूप में संगठित होना चाहिए। हमें अपने कार्यस्थलों, अपने मुहल्लों और अपने परिसरों में अपनी समितियों, अपने संघर्षरत संगठनों का निर्माण करना चाहिए। इस संघर्ष के दौरान हमें शासक बनने के लिए संगठित होना होगा।

सत्ता को अपने हाथों में लेकर ही हम, कामकाजी महिलाएं और पुरुष लोगों की बढ़ती वस्तुगत और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने और गारंटी देने के लिये अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलने में सक्षम होंगे। हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि सभी मनुष्य – महिलाएं और पुरुष – 22वीं शताब्दी के नागरिकों के अनुरूप जीवन जीने में सक्षम हैं।

महिला आंदोलन को अपने लिए यह लक्ष्य निर्धारित करने की ज़रूरत है। हमें एकजुट होकर लोगों के सशक्तिकरण और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष करना होगा, जो कि महिलाओं की मुक्ति के लिए आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिलाओं की पूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष ज़िंदाबाद!

http://hindi.cgpi.org/21888

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 :

महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ायें!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 8 मार्च, 2022

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन साहसी महिलाओं को सलाम करती है जो पूरी दुनिया में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं!

पुरानी पाबंदियों और प्रतिबंधों को तोड़कर, महिलाएं यौन उत्पीड़न, भेदभाव और शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वे साम्राज्यवादी युद्ध और इजारेदार पूंजीवादी अति–शोषण और लूट के ख़िलाफ़ संघर्ष में शामिल हैं। वे राजकीय आतंकवाद, सांप्रदायिकता और नस्लवाद के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरी हैं। एक महिला के रूप में तथा एक इंसान के रूप में, महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं।

हमारे देश में जन स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं में कार्यरत करोड़ों महिलाएं "स्वयंसेवक" होने की आड़ हो रहे अपने अत्यधिक शोषण को समाप्त करने की मांग कर रही हैं तथा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें आंगनवाड़ी मज़दूर, आशा मज़दूर, मध्याह्न भोजन मज़दूर और अन्य मज़दूर शामिल हैं जिन्हें "मानदेय" के नाम पर न्यूनतम मज़दूरी से बहुत कम वेतन दिया जाता है।

संसद द्वारा पारित जन–विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में लाखों महिलाएं बार–बार सड़कों पर उतरी हैं। महिलाएं नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ देशभर में हो रहे आंदोलन में सबसे आगे थीं। तीन किसान–विरोधी क़ानूनों और सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चलने वाले विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

पिछले दो वर्षों में महिलाओं का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि कोविड के दौरान लगाए गये लॉक–डाउन की वजह से वे बुरी तरह पीड़ित हुई हैं। महिलाओं की बेरोज़गारी की दर पुरुषों की बेरोज़गारी की दर से भी अधिक हो गई है। नियमित नौकरी करने वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में काम से निकाल दिया गया है। शिक्षित युवा महिलाएं, जो श्रमिक के रूप में काम की तलाश कर रही हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, या वे अस्थायी अनुबंध पर सेल्स गर्ल के रूप में कम से कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। इन्हें कार्यस्थल पर न तो उत्पीड़न से कोई सुरक्षा है न ही कोई अधिकार है और न ही सड़कों पर शारीरिक हमलों के ख़तरों से सुरक्षा है। जो महिलाएं अपने घरों को चला रही हैं, उन्हें पारिवारिक आय में गिरावट और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।

सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़ हो रहे संघर्ष में महिला संगठन, मज़दूरों की यूनियनों और विभिन्न अन्य जन संगठनों के साथ, लगातार सबसे आगे रहे हैं। वे उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से हिन्दोस्तानी पूंजी के वैश्वीकरण के पूरे कार्यक्रम के ख़िलाफ़ मजबूती से एकजुट हुई हैं।

हमारे देश में शासक वर्ग इस विचार का प्रचार करता है कि अर्थव्यवस्था की दिशा, राजनीतिक व्यवस्था और उसके संविधान में कुछ भी गलत नहीं है। तथाकथित अच्छे लोगों को वोट देकर और जन–समर्थक नीतियों को लागू करने वाली पार्टी का चुनाव करके हमारी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। हमारा ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि यह बहुत बड़ा झूठ है। यह एक ख़तरनाक भ्रम है जिसका उद्देश्य है श्रम के शोषण और महिलाओं के उत्पीड़न की मौजूदा व्यवस्था को क़ायम रखना।

हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति के साथ हम, इस देश की मेहनती महिलाएं और पुरुष, पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। हम सामंतवाद के सभी अवशेषों और महिलाओं को पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के अधीन करने के सभी रूपों को मिटा सकते हैं। हम पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवादी लूट और महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न और हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और एक ऐसा राज्य जो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान सहित सभी लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों की गारंटी देता है।

महिलाओं के साथ निरंतर भेदभाव और उनके उत्पीड़न का मूल कारण पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति में निहित है, जो काम करने वाले सभी लोगों के अधिकतम शोषण के माध्यम से एक अमीर अल्पसंख्यक के हाथों में निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए उन्मुख है। हिंदोस्तानी पूंजीवाद का विकास जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को क़ायम रखते हुए, श्रम के अति–शोषण और पूंजीवादी मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए किया गया है। इस व्यवस्था में मानव श्रम केवल पूंजीवादी मुनाफ़े का एक स्रोत है; और महिलाएं शासक वर्ग के लिए लाभ और आनंद का स्रोत हैं।

राजनीतिक व्यवस्था टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व में शोषक अल्पसंख्यकों के शासन को बनाए रखने का कार्य करती है। पार्टियों ने एक–दूसरे को कई बार बदला है लेकिन अर्थव्यवस्था की दिशा और सरकार के कार्यक्रम तथा नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले 30 वर्षों में, केंद्र और राज्यों में सरकारों ने उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से हिन्दोस्तानी पूंजी के वैश्वीकरण के एक ही कार्यक्रम को लागू किया है। इजारेदार पूंजीपति लगातार और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि अधिकांश महिलाएं और पुरुष शोषित, उत्पीड़ित, ग़रीबी और कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं।

संसदीय लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है, इस व्यवस्था को निर्णय लेने की शक्ति को उन पार्टियों के हाथों में केंद्रित करने के लिए बनाया गया है जो इजारेदार पूंजीपतियों का काम करती हैं। बहुसंख्य महिलाओं और पुरुषों को पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता से बाहर रखा गया है। हमारी भूमिका मतदान के दिन तक ही सीमित है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, लोगों से कहा जाता है कि आप यह चुनो कि "हुक्मरान वर्ग का कौन–सा सदस्य संसद में आपके हितों के ख़िलाफ़ आपका प्रतिनिधित्व करेगा और आपका दमन करेगा"।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष को राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की प्रकृति को पूरी तरह से बदलने के उद्देश्य से करने की ज़रूरत है। हमें एक शोषक अल्पसंख्यक की मौजूदा व्यवस्था को बहुसंख्य मेहनतकशों की सत्ता की नई व्यवस्था से बदलने के लिए लड़ना चाहिए।

हमें राजनीतिक प्रक्रिया और शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए, ताकि बुर्जुआ पार्टियों के वर्चस्व को समाप्त किया जा सके और निर्णय लेने की शक्ति बहुसंख्यक मेहनतकश लोगों के हाथों में दी जा सके।

संविधान को लोगों में संप्रभुता निहित करनी चाहिए न कि संसद या मंत्रीमंडल या राष्ट्रपति में। एक राजनीतिक पार्टी की भूमिका लोगों को सत्ता से बाहर रखने और उनके नाम पर निर्णय लेने की नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी की भूमिका, दृष्टिकोण और संगठित अग्रणी चेतना प्रदान करने की होनी चाहिए ताकि लोग निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग कर सकें।

मतदान करने वालों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए और किसी भी समय अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें क़ानूनों और नीतियों का प्रस्ताव, अनुमोदन या अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए; और संविधान में संशोधन करने या सुधार करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य व्यवस्था को चयन और चुनाव की पूरी प्रक्रिया का वित्तपोषण करना चाहिए; किसी भी चुनावी अभियान के लिए किसी भी निजी फंडिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति के साथ, हम इस देश की मेहनतकश महिलाएं और पुरुष, पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। हम सामंतवाद के सभी अवशेषों और महिलाओं को पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के अधीन करने के सभी रूपों को मिटा सकते हैं। हम पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवादी लूट और महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न और हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और एक ऐसा राज्य जो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान सहित सभी लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों की गारंटी देता है।

http://hindi.cgpi.org/21884

ठाणे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पृष्ठ 4 का शेष

हमारे देश में हुक्मरान वर्ग द्वारा जाति और धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि, महिलाओं ने हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उत्पीड़न और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ रही हैं। विभिन्न वक्ताओं ने सी.ए.ए. –एन.आर.सी. के ख़िलाफ़ संघर्ष और किसान आंदोलन के प्रेरक संघर्ष के बारे में बताया। आज हमारे देश का मज़दूर वर्ग पूंजीपतियों के निजीकरण के एजेंडे के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तरीके से लड़ रहा है। वक्ताओं ने समझाया कि क्यों निजीकरण केवल मज़दूरों पर ही नहीं, बल्कि पूरे लोगों पर हमला है।

अंत में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस ज़िंदाबाद!, दुनिया के मज़दूरों एक हो! और इंक़लाब ज़िंदाबाद! के नारों से हॉल गूंज उठा।

http://hindi.cgpi.org/21900

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

किसान आन्दोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित आठवीं सभा

'किसान आन्दोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा', इस विषय पर मज़दूर एकता कमेटी द्वारा 22 फरवरी, 2022 को आयोजित, इस श्रृंखला की आठवीं सभा में मुख्य वक्ता हरपाल सिंह संघा थे। वे आजाद किसान कमेटी, दोआबा (पंजाब) के जुझारू नेता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) में आजाद किसान कमेटी, दोआबा (पंजाब) एक सक्रिय सदस्य है।

हरपाल सिंह संघा जी ने अपने इलाके में तथा पूरे पंजाब में किसानों को जागृत करने के अपने काम के बारे में सभा को बताया। दिल्ली की सरहदों पर किसानों ने आंदोलन को जारी रखने में जो बहादुरी दिखाई, उसका विवरण करके सभा में जोश भरते हुये, उन्होंने ऐलान किया कि "**आंदोलन में एक नयी ऊर्जा है। आत्म विश्वास है कि हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं और बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं।**"

हरपाल सिंह संघा के भाषण के बाद, मज़दूर एकता कमेटी की ओर से संतोष कुमार ने अपने विचार रखे। देश के अनेक इलाकों से और कई अन्य देशों से मज़दूरों और किसानों के संघर्षों में रुचि रखने वाले अनेक कार्यकर्ताओं ने सभा में भाग लिया। उनमें से कई कार्यकर्ताओं ने किसान आन्दोलन और देश की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार रखे तथा मुख्य वक्ता से अपने सवाल पूछे।

हरपाल सिंह संघा का वक्तव्य

मैं पंजाब के होशियारपुर इलाके से हूं और आज मैं आजाद किसान कमेटी, दोआबा (पंजाब) की ओर से बात करूंगा।

मोदी सरकार की दूसरी पारी के समय से अपने देश के लोगों पर एक बड़ा हमला हो रहा है। पहले असम के लोगों पर, फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों पर और उसके बाद पंजाब के किसानों पर।

ज्यादातर किसानों के पास छोटी जोतें हैं। सरकार ने हिन्दोस्तान के कार्पोरेट घरानों के हित में मज़दूरों और किसानों पर हमला किया है। छोटे और सबसे ग़रीब किसानों की ज़मीन कार्पोरेट घरानों के हाथों में दे दी जायेगी। परन्तु, क्योंकि पंजाब के किसान सचेत हैं, वे इन हमलों के पीछे के उद्देश्यों को समझ गये हैं। उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया।

मैं आपको इस इलाके (दोआबा) के बारे में बताना चाहता हूं। इस इलाके के किसानों की खेती ठीक चलती है। यहां आत्महत्याओं के मामले नहीं हैं। यहां पर किसानों का संगठन नहीं था। यहां आलू, मटर और मक्का बहुत अच्छे से उगता है। चना भी अच्छे से होता है। इस इलाके में खेती की इतनी समस्या नहीं थी।

जब मोदी साहब तीन कृषि कानून लाये, लोगों को लगने लगा कि उनकी ज़मीन उनके हाथों से जाने वाली है। हाल ही में पंजाब के मालवा इलाके में आंदोलन शुरू हो गया था। पंजाब के किसानों को जागृत करने के लिये हम एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। हमने किसानों को उन एक्शनों में शामिल करना शुरू कर दिया, जो कमेटी तय करती थी। हम कमेटी के सभी फैसलों को लागू कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि होशियारपुर के इस इलाके में हमारा संगठन सक्रिय है, तब उन्होंने हमारे संगठन को भी मोर्चे में शामिल कर लिया। इसके दो महीने बाद पंजाब के संगठनों ने दिल्ली जाने का फ़ैसला लिया। हम भी दिल्ली गये और इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मोदी सरकार कार्पोरेट घरानों के लिये काम कर रही है और किसानों की ज़मीनें कार्पोरेटों के हवाले करना चाहती है। इस मुद्दे पर पंजाब के बहुत से लोग साथ में आये और संगठित होकर संघर्ष के रास्ते पर उतरे। एक साल तक किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे। बारी–बारी से किसानों के जत्थे सरहदों पर आये। हमने गांवों में अपना काम जारी रखा और गांवों से और भी किसान संघर्ष से जुड़ते गये।

13 महीने तक दिल्ली की सरहदों पर संघर्ष चलता रहा। सरकार ने संघर्ष को तोड़ने का हर तरीक़ा अपनाया। धरने के पास के इलाकों में उन्होंने निवासियों को उकसाया कि आपके लिये सड़कें बंद हो रही हैं, कि आपका धंधा ठप्प हो जायेगा। हमारे साथी, लोगों के साथ मीटिंगें करते रहे और समझाते रहे कि किसान आंदोलन हम सबका आंदोलन है। यह हम सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिये है। इस तरह हमारा आंदोलन जारी रहा।

उन्होंने एक किसान की हत्या भी करवाई, निहंग सिंहों को भड़काया गया और दूसरे तरह के हमले भी करवाये। सरकार ने पूरी कोशिश की कि आंदोलन को बदनाम किया जा सके और इसको ख़त्म किया जा सके। लखीमपुर खीरी कांड हुआ। किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया, जिसमें भाजपा के मंत्री के बेटे का हाथ था। हम इस मामले में न्याय के लिये भी संघर्ष कर रहे हैं।

पंजाब के मोर्चे के 32 संगठनों के किसानों के बीच हमने अपना काम जारी रखा। उन्हें जानकारी से लैस किया। सरहदों पर और भी लोग जुड़ते गये। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और तीनों क़ानूनों को वापस लेना पड़ा।

इन क़ानूनों को वापस लेने में मोदी सरकार की सोच थी कि विधान सभा चुनावों के दौरान अगर आंदोलन जारी रहा तो उन्हें नुक़सान होगा। वे चुनाव हार जायेंगे और सत्ता खो देंगे। इसलिये उन्होंने क़ानूनों को वापस लिया। पर वे इन्हें इस या उस रूप में लागू करने वाले हैं। इसलिये किसान आंदोलन ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि इन क़ानूनों के पीछे बड़े कार्पोरेटों के हित हैं। हमने लोगों को कार्पोरेट घरानों और उनके हाकिमों के ख़िलाफ़ लामबंद किया है। हम कह रहे हैं कि देश हमारा है, पर अपने देश पर राज कर रहे हैं बड़े सरमायदार और कार्पोरेट।

वर्तमान व्यवस्था में किसानों के लिये कुछ नहीं है। साल दर साल खेती और मुश्किल होती जा रही है। किसानों को उत्पादों की क़ीमत नहीं मिलती है। लागत वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब के किसानों को पता चल गया है कि सरकार सोच रही है कि संसद में इतने बड़े बहुमत के साथ वह किसानों की ज़मीनों को कार्पोरेट घरानों के सुपर्द कर सकेगी और किसानों को मज़दूरों में तब्दील कर देगी।

दिल्ली की सरहदों पर 13 महीने तक यह संघर्ष चला और पंजाब में उससे दो महीने पहले से चल रहा था। किसान अपने गांवों और सरहदों के बीच आते–जाते रहे। अपनी फ़सलों की देखभाल भी की और संघर्ष में भी हिस्सा लिया। लगातार संघर्ष करने का यही तरीक़ा है जिससे फतह मिल सकती है। आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज़ होगा। मज़दूरों और किसानों को एकजुट होकर लड़ना होगा और बड़े सरमायदारों और कार्पोरेट घरानों को हराना होगा। हम उनको पीछे हटने को मजबूर कर सकते हैं।

आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पहले–पहले हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं था। पर जब हमने शंभू बार्डर को पार किया तब हरियाणा के नौजवान अपने ट्रैक्टरों के साथ हमसे जुड़ गये। हमारे संघर्ष ने हरियाणा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तथा देश के विभिन्न इलाकों के संगठनों को एकजुट किया है। आंदोलन में एक नयी ऊर्जा है। आत्म विश्वास है कि हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं और बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। यही एक रास्ता है। अपने अधिकारों की रक्षा का कुछ और शोर्टकट नहीं है।

सभी किसान संगठन एक साथ बैठकें कर रहे हैं, एक दूसरे से सलाह–परामर्श कर रहे हैं और संघर्ष की लाइन तय कर रहे हैं। हम कार्पोरेट घरानों और उनके हाकिम, मोदी के अजेंडे को रोक पाये हैं।

आंदोलन का एक हिस्सा वोटों के पीछे चला गया है। इससे हमारा संघर्ष कुछ हद तक कमजोर हुआ है। परन्तु यह साफ़ है कि हम कार्पोरेट घरानों और उनके हाकिम को हरा सकते हैं बशर्ते हम एकजुट होकर संघर्ष करें। हमारे संघर्ष ने सभी मेहनतकशों के संघर्ष के रास्ते पर प्रकाश डाला है। एक प्रांत से शुरू हुआ एक आंदोलन देशभर और दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल सकता है, कि लोगों को जागृत किया जा सकता है, उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिये और बड़े सरमायदारों व कार्पोरेट घरानों को हराने के लिये एकजुट और लामबंध किया जा सकता है।

सभा के अंत में हरपाल सिंह संघा ने सहभागियों के विचारों और सवालों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि सभी सभागियों के अनुभवों और विचारों से हमारे संघर्ष को मजबूती मिलती है। हमारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। हुक्मरान बड़े चालाक हैं। वे किसी न किसी तरह हमें गुमराह करके, अपना एजेंडा लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें संघर्ष को जारी रखना होगा क्योंकि अभी भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है।

तीन किसान क़ानूनों के वापस लिये जाने के बाद, अब हमारे सामने कई और मुद्दे हैं। एम.एस.पी. का मुद्दा है, बिजली क़ानून 2021 का मुद्दा है, आंदोलन में शहीद हुये किसानों के परिवारों को मुआवज़ा दिलवाने का मुद्दा है और आंदोलन के दौरान हमारे कई किसानों पर लगाये पुलिस केस को वापस करवाने का मुद्दा है।

संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। हम एकजुट होकर ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमारे बीच में इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि अपने मक़सदों को पूरा करने के लिये संघर्ष ही एक रास्ता है। हम अपने संघर्ष में अवश्य जीत हासिल करेंगे।

मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने क़ीमती विचारों और प्रस्तावों से हमें उत्साह और ताक़त दी है।

मैं मज़दूर एकता कमेटी को इस जूम मीटिंग को आयोजित करने के लिये एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

http://hindi.cgpi.org/21872

किसान आन्दोलन के सामने कुछ सवाल

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध

(कीमत 25 रू. और डाक खर्च 20 रू.)

निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी, नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :- ई-392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली - 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

पाठकों से अनुरोध

पाठक हमारे बैंक खाते में आनलाईन पैसे भेज रहे हैं। जो पाठक पैसे भेजते हैं, वे अपने नाम और पते की पूरी जानकारी दें। हमारा वाट्सएप्प नंबर-9868811998 और मो. नं. 9810167911 है।

मणिपुर में विधानसभा चुनाव :

सैनिक शासन के बीच चुनाव – संसदीय लोकतंत्र के जन–विरोधी चरित्र का पर्दाफ़ाश

मणिपुर में विधानसभा के चुनाव एक बार फिर सेना के शासन और बेलगाम राजकीय आतंकवाद के हालतों में हुए हैं। अधिकांश जिलों में सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को अनुमति है कि वे किसी को भी केवल संदेह के आधार पर गोली मार सकते हैं। उन्हें यह अनुमति सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफ्स्पा) के ज़रिये मिलता है।

40 से अधिक वर्षों से मणिपुर सेना के शासन के अधीन है। सैन्य शासन की राजनीतिक व्यवस्था के तहत एक अत्यंत परजीवी आर्थिक व्यवस्था विकसित हुई है। सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों, विभिन्न प्रतिबंधित सशस्त्र समूहों और वर्तमान व्यवस्था से मुनाफ़ा कमाने वाले व्यापारियों और राजनेताओं के परजीवी वर्ग के बीच एक भ्रष्ट और आपराधिक सांठगांठ है। पूंजीपति व्यापारियों, उद्योगपतियों, जमींदारों, बैंकों और साहूकारों द्वारा वसूले गए बेशी मूल्य के अलावा, वे मेहनतकश लोगों से क़ानूनी और गैरक़ानूनी कर वसूलते हैं। मणिपुर के लोगों की उत्पादक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा को राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था द्वारा चूसा जा रहा है और उसे बर्बाद किया जा रहा है।

चुनी हुई विधानसभा को मिली निहायत ही सीमित ताक़त, मणिपुर में विधानसभा चुनावों की हास्यास्पद स्थिति का पर्दाफ़ाश करती है। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा ने आफ्स्पा को वापस लिये जाने के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया।

आफ्स्पा सशस्त्र बलों को यह अधिकार देता है कि वे केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गोली मार दें और साथ ही इस तरह से की गयी मनमानी हत्याओं को, जिन्हें "फ़र्ज़ी मुठभेड़" के नाम से जाना जाता है, उनके लिये आफ्स्पा सैनिकों को किसी भी क़ानूनी कार्यवाही से पूर्ण सुरक्षा देता है। एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ एक्स्ट्रा–ज्यूडिशियल एक्जीक्यूशन (ए.वी.ई.जे.ई.) के अनुसार, 2005–2015 के बीच 10 साल की अवधि के दौरान मणिपुर में 1528 हत्याएं फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में हुई हैं।

जब राज्य के अधिकांश हिस्सों में जान से मारने के लाइसेंस के साथ हथियारबंद सैनिक घूम रहे हों, तब यह दावा करना हास्यास्पद है कि लोग वोट देकर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। यह मणिपुर के लोगों की गरिमा और बुद्धिमत्ता का अपमान है।

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (1958) उसी तरह का अधिनियम है जैसा कि बर्तानवी उपनिवेशवादी शासकों ने 1942 में उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष की बढ़ती लहर को कुचलने के लिए लागू किया था। हिन्दोस्तान को आज़ादी मिलने के बाद, नगा लोगों के आत्म–निर्णय के संघर्ष को कुचलने के लिए आफ्स्पा को लागू किया गया था। इसका उपयोग उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों में रहने वाले सभी लोगों के साथ–साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ भी किया गया है।

पिछले 40 वर्षों में या उससे भी अधिक समय से, मणिपुर के सभी क्षेत्रों के लोगों सहित पूरे हिन्दोस्तान में प्रगतिशील ताकतें मांग कर रही हैं कि उपनिवेशवादी अधिनियम आफ्स्पा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लोगों के लगातार और एकजुट संघर्ष ने हिन्दोस्तानी शासक वर्ग को मणिपुर के दो जिलों से आफ्स्पा को वापस लेने के लिए मजबूर किया है, जिसमें राजधानी इम्फाल शामिल है।

जब विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोगों ने बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष शुरू किया था, तब उन्हें उम्मीद थी कि स्वतंत्र हिन्दोस्तान में उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूरी होंगी। लेकिन हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग ने उनकी इन आकांक्षाओं को कुचल दिया है। राष्ट्रीय अधिकारों के उनके जायज़ संघर्ष को हिन्दोस्तानी संघ ने गैर–क़ानूनी घोषित कर दिया है। अपने अधिकारों के लिए लोगों के संघर्ष को "क़ानून और व्यवस्था" की समस्या के रूप में देखा जाता है।

मणिपुर के किसी भी हिस्से में आफ्स्पा को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। आफ्स्पा को देश के किसी भी हिस्से में लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

समस्या की जड़ इस तथ्य में निहित है कि हिन्दोस्तानी संघ अपने अनेक लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों का सम्मान नहीं करता है।

1947 में बड़े जमींदारों के साथ सांठ–गांठ करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाले हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों का नज़रिया हमेशा से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी रहा है। टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य इजारेदार घराने जो शासक पूंजीपति वर्ग के मुखिया हैं, राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं की भूमि और उनके प्राकृतिक संसाधनों को अपनी निजी जागीर मानते हैं और उन्हें बेरहमी से लूटते हैं। हिन्दोस्तानी पूंजीपति हमारे देश में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा ब्रिटिश उपनिवेशवादी हमारे लोगों के साथ किया करते थे। हिन्दोस्तानी गणराज्य का संविधान इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

संविधान हिन्दोस्तान को राज्यों का संघ घोषित करता है। इन राज्यों को क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित किया गया है। हिन्दोस्तान के भीतर अलग–अलग राष्ट्रों के अस्तित्व की कोई मान्यता नहीं है, उन्हें आत्म–निर्णय के अधिकार की गारंटी देना तो दूर की बात है।

जब विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोगों ने बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष शुरू किया था, तब उन्हें उम्मीद थी कि स्वतंत्र हिन्दोस्तान में उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूरी होंगी। लेकिन हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग ने उनकी इन आकांक्षाओं को कुचल दिया है। राष्ट्रीय अधिकारों के उनके जायज़ संघर्ष को हिन्दोस्तानी संघ ने गैर–क़ानूनी घोषित कर दिया है। अपने अधिकारों के लिए लोगों के संघर्ष को "क़ानून और व्यवस्था" की समस्या के रूप में देखा जाता है।

हिन्दोस्तान की आज़ादी के समय मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था, जिसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी और उसका अपना संविधान था। मणिपुर के राजा का अपहरण करके उसे शिलॉंग में बंदी बना कर रखा गया। उसके लोगों और उसके मंत्रिपरिषद की पीठ के पीछे विलय के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा को मजबूर किया गया। उस समझौते के तहत मणिपुर को हिन्दोस्तानी संघ में जबरन एकीकृत किया गया। मणिपुर के लोगों ने अपने राष्ट्रीय अधिकारों का दावा करना जारी रखा है, जिसके लिए उन्हें हिन्दोस्तानी राज्य के दुश्मन के रूप में देखा जाता है। उन्हें दबाने के लिए वहां पर सशस्त्र बलों को स्थायी तौर पर तैनात कर दिया गया है।

हिन्दोस्तानी संघ को स्वेच्छा के आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रों और लोगों को आत्म–निर्णय का अधिकार होगा। संघ और उसके घटकों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उन सभी लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके जो मिलकर हिन्दोस्तान को बनाते हैं।

झूठा प्रचार करके तथ्यों को छुपाया जाता है। लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोगों के विद्रोह पर प्रतिक्रिया बतौर आफ्स्पा और सेना के शासन को जायज़ बताया जाता है। सच्चाई यह है कि सेना के शासन में राष्ट्रीय अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोगों के न्यायपूर्ण संघर्षों का जबरन दमन ही समस्या का स्रोत है। लोगों का विद्रोह उनके अधिकारों के हनन की प्रतिक्रिया है।

आफ्स्पा को समाप्त करने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब और तीव्रता से पुनर्जीवित हुई है। हाल ही में नगालैंड में केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा निहत्थे लोगों की हत्या ने नगालैंड और मणिपुर, दोनों में लोगों के गुस्से को हवा दी है।

आफ्स्पा को ख़त्म करना पूरी तरह से जायज़ मांग है। आफ्स्पा को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए।

सेना के शासन में चल रहे चुनाव हिन्दोस्तानी लोकतंत्र के बदसूरत चरित्र को दर्शाते हैं। पूंजीपति वर्ग बंदूक और वोट के माध्यम से शासन करता है। जब मज़दूर, किसान, महिलाएं, नौजवान तथा विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोग अपने अधिकारों के लिये दावा पेश करते हैं, तो उन्हें सशस्त्र बलों के क्रूर दमन का सामना करना पड़ता है। सभी राज्यों की व्यापक जनता पर पूंजीपति वर्ग की तानाशाही को वैध बनाने के लिए समय–समय पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जब कार्यपालिका चलाने वाली पार्टी लोगों की नज़रों में बदनाम हो जाती है, तब पूंजीपति वर्ग उसकी जगह पर एक ऐसी विश्वसनीय विपक्षी पार्टी को ले आता है, जो उसी एजेंडे को लागू करेगी। मणिपुर के लोगों को इसका कड़वा अनुभव है।

हिन्दोस्तानी संघ को स्वेच्छा के आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रों और लोगों को आत्म–निर्णय का अधिकार होगा। संघ और उसके घटकों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उन सभी लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके जो मिलकर हिन्दोस्तान को बनाते हैं।

लोगों के हाथों में संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोगों को हाशिये पर रखने वाली पार्टी प्रभुत्व की राजनीतिक प्रक्रिया को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके स्थान पर, हमें एक नई राजनीतिक प्रक्रिया का आविष्कार करने की आवश्यकता है, जो लोगों को अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने और निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है। ऐसी व्यवस्था में एक राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अगुवा संगठित चेतना और नज़रिया प्रदान करे जिसके साथ लोग स्वयं शासन कर सकें।

http://hindi.cgpi.org/21870

Mazdoor Ekta Lehar (Internet Editions)

Hindi: http://www.hindi.cgpi.org, English: http://www.cgpi.org

Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org &

Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com

Ph.09868811998, 09810167911

यूनियन बनाने पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों की बर्ख़ास्तगी

1 दिसंबर, 2021 को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई.टी.आई.) लिमिटेड के 80 ठेका मज़दूरों को अपनी यूनियन बनाने पर और लॉकडाउन के समय की मज़दूरी की मांग करने के कारण बर्ख़ास्त कर दिया गया था। वे अपनी बर्ख़ास्तगी के ख़िलाफ़ पिछले 100 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।

आई.टी.आई. लिमिटेड दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। कंपनी के पास बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण सुविधाएं हैं, साथ ही बेंगलुरु में अनुसंधान और विकास का एक केंद्र है और हिन्दोस्तान के विभिन्न शहरों में 25 मार्केटिंग, सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स (एम.एस.पी.) केंद्र हैं। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस कंपनी में लगभग 2,500 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। ठेका मज़दूरों के रूप में सैकड़ों मज़दूर अत्यधिक शोषण का सामना कर रहे हैं, इन्हें नियमित मज़दूरों को मिलने वाले अधिकारों से वंचित रखा गया हैं। ये ठेका मज़दूर, नियमित मज़दूरों की तुलना में बहुत कम मज़दूरी के लिए दिन में 12–14 घंटे काम करने को मजबूर हैं।

अपने अधिकारों के लिए और अपने घोर शोषण के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, आई.टी.आई. की बेंगलुरु इकाई के ठेका

मज़दूर कर्नाटक जनरल लेबर यूनियन (के.जी.एल.यू.) के बैनर तले एकजुट हुये हैं। मज़दूरों की छंटनी इसलिये की गई है, क्योंकि उन्होंने यूनियन बनाने का फ़ैसला किया है।

कर्नाटक जनरल लेबर यूनियन (के.जी.एल.यू.) के अनुसार, कंपनी ने 400 से अधिक ठेका मज़दूरों को काम पर रखा है। इनमें से कई मज़दूरों को ठेका मज़दूरों के रूप में काम करते हुये पांच से तीस साल हो चुके हैं। यूनियन के अनुसार, कोविड–19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कंपनी में मज़दूरों की संख्या को कम करने के लिये 240 ठेका मज़दूरों की छंटनी की गई थी।

बाकी मज़दूरों से दिन में ज्यादा घंटे तक काम करवाया गया, जिसके लिये दिये जाने वाले वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

अगस्त 2020 में कुछ मज़दूरों ने यूनियन बनाई थी और कंपनी के ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट में केस दर्ज़ कराया था। इसके बाद इन मज़दूरों को कंपनी की ओर से बक़ाया राशि का भुगतान किया गया। लेकिन जब और मज़दूर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की खातिर यूनियन में शामिल हुए, तो उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया। उन्हें उनके बकाया राशि से वंचित कर दिया गया। एक दिसंबर से ठेका मज़दूर बेंगलुरु में आई.टी.आई. कारखाने के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बर्ख़ास्तगी का विरोध कर रहे हैं और अपने बकाये के भुगतान की मांग कर रहे हैं।

के.जी.एल.यू. ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आई.टी.आई. मज़दूरों का ठेका मज़दूर के रूप में वर्षों से शोषण कर रही है। विभिन्न निजी ठेकेदारों के ज़रिए इन कुशल श्रमिकों की भर्ती की गई थी। जब एक ठेकेदार का अनुबंध समाप्त हो जाता है तो ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए सभी मज़दूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यदि मज़दूर चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर से काम पर रख जाये, तो नया ठेकेदार उन मज़दूरों को 20 प्रतिशत कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करता है। मज़दूरों को नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया, जबकि 30 वर्ष से अधिक की आयु वालों के आवेदनों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया। मज़दूरों को काम पर रखे जाने और मज़दूरी निर्धारित किये जाने में भी जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा।

आई.टी.आई. लिमिटेड के ठेका मज़दूरों का मामला उन अनगिनत मामलों में से एक है जहां नियोक्ताओं ने कोविड–19 की महामारी का इस्तेमाल करके मज़दूरों की आजीविका छीनी है और उनके शोषण को तेज़ किया है।

http://hindi.cgpi.org/21902

महिला दिवस पर नयी दिल्ली में उत्साहपूर्ण संयुक्त कार्यक्रम

पृष्ठ 1 का शेष

से प्रोत्साहन लिया गया। महिलाओं पर हो रहे हर प्रकार के शोषण–दमन, यौन हमलों व घरेलू हिंसा तथा इन सब मामलों में पुलिस–प्रशासन की अपराधियों के साथ मिलीभगत की ज़बरदस्त निंदा की गयी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का सख़्त विरोध किया गया। साम्राज्यवादी जंग और लूट की कड़ी निंदा की गयी।

वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था महिलाओं के शोषण–दमन का स्रोत है। पूंजीवादी व्यवस्था के चलते, नाना प्रकार के सामंती और पिछड़े रिवाज़ों, जाति प्रथा आदि को बरकरार रखा जाता है, ताकि महिलाओं के शोषण को और तीव्र किया जा सके।

क़ानून और सभी अहम नीतिगत फ़ैसले बड़े–बड़े पूंजीवादी घरानों के हितों के अनुसार बनाये जाते हैं। हरेक सरकार उन्हीं के हितों की सेवा करती है। हमारे पास चुने गए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने या वापस बुलाने का कोई हक़ नहीं है, और न ही अपने हित में कोई फ़ैसला लेने का या क़ानून बनाने का। महिलाओं को इस व्यवस्था के चलते, अपनी मुक्ति नहीं मिल सकती। महिलाओं की मुक्ति पूंजीवादी शोषण से पूरे समाज की मुक्ति के बिना हासिल हो नहीं सकती।

महिलाओं को पुरुषों और समाज के सभी पीड़ितों के साथ एकजुट होकर, एक ऐसे समाज के लिए संघर्ष करना होगा, जिसमें हमें अपने जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों पर फ़ैसले लेने का अधिकार होगा और सबकी खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का फ़र्ज़ होगा।

यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित सभा का प्रेरणादायक सन्देश था। सभी सहभागी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोशभरे नारे बुलंद करके, महिलाओं और पूरे समाज की मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प किया।

http://hindi.cgpi.org/21874

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जन संघर्ष मंच हरियाणा के कैथल में महिला दिवस मनाया

दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रैली के कुछ दृष्य

अमरीकी साम्राज्यवाद की एशिया पर हावी होने की कोशिशों की सेवा में क्वाड एक हथियार

10–11 फरवरी, 2021 को अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिन्दोस्तान के विदेश मंत्री क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) के तहत, ऑस्ट्रेलिया में मिले। बहुत ही कम समय के अन्तर पर यह उनकी चौथी मीटिंग थी।

क्वाड अमरीका के नेतृत्व में एक सैन्य–रणनीतिक गठबंधन है, जिसका निशाना चीन है। 2009 में ओबामा प्रशासन के दौरान, जब अमरीका ने पहली बार अपनी "एशिया धुरी" नीति की घोषणा की थी, तब से क्वाड की भूमिका तेज़ी से बढ़ती रही है।

अपनी "एशिया धुरी" नीति की घोषणा करके, अमरीकी साम्राज्यवाद ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि सारी दुनिया पर हावी होने की अपनी अनवरत कोशिशों के अंर्तगत, वह एशिया पर और ख़ासकर एशिया–प्रशांत सागर क्षेत्र पर अपने वर्चस्व को और मजबूत करने पर ध्यान देगा।

हालांकि क्वाड ने खुले तौर पर अपने को एक सैन्य गठबंधन घोषित नहीं किया है, परन्तु अमरीका के पूर्व उप–विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने अगस्त 2020 में स्पष्ट रूप से कहा था कि क्वाड "नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) जैसा ही गठबंधन होगा, जिसका उद्देश्य होगा चीन का मुकाबला करना"। उन्होंने इसे "चीन से संभावित चुनौती के ख़िलाफ़ रक्षा कवच" बताया था। यह क्वाड समूह के वास्तविक चरित्र की बहुत स्पष्ट पुष्टि थी।

हाल ही में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में हमेशा की तरह, बड़े ज़ोरशोर से इस दावे को दोहराया गया कि क्वाड "मूल्यों" पर आधारित समूह है। बार–बार यह दावा किया गया कि क्वाड को "नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" की हिफ़ाज़त करने के लिये बनाया गया है। सच्चाई यह है कि इस समूह का नेता, अमरीका, अलग–अलग राज्यों के आपसी संबंधों के नियमों और मानदंडों का सबसे ज्यादा और लगातार उल्लंघन करने वाला रहा है। जब अमरीका इराक और सीरिया जैसे देशों पर आक्रमण करता है, जब अमरीका, उसके हुक्म का पालन नहीं करने वाली सरकारों को गिराने के लिए सक्रिय रूप से अशांति फैलाने का काम करता है, जब वह अफ़ग़ानिस्तान में नागरिक आबादी पर बम बरसाता हैं, तब वह सीधे तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र के सूचीगत असूलों का उल्लंघन करता है। लेकिन अमरीका और उसके सहयोगियों के अनुसार, ये अपराध "नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" का उल्लंघन नहीं हैं।

अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि क्वाड इस असूल की रक्षा करता है कि "किसी देश की अपनी जनता ही अपने देश की विदेश नीति, सांझे संबंधों, गठबंधनों और संगठनों को चुनने के क़ाबिल है"। यह एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधि का बोल रहा है, जिसने क्यूबा, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों को ठीक ऐसा करने के लिये – यानी अपनी विदेश नीति, सांझे संबंधों, गठबंधनों और संगठनों को चुनने के लिए – दंडित किया है। यह क्वाड के पाखंड को साफ–साफ दर्शाता है।

क्वाड अमरीका के नेतृत्व में एक सैन्य–रणनीतिक गठबंधन है, जिसका निशाना चीन है। 2009 में ओबामा प्रशासन के दौरान, जब अमरीका ने पहली बार अपनी "एशिया धुरी" नीति की घोषणा की थी, तब से क्वाड की भूमिका तेज़ी से बढ़ती रही है।

क्वाड की हाल की बैठक ने किसी पूर्व बैठक में किये गये, पर अब तक नहीं निभाये गये वादे को दोहराया कि इस क्षेत्र के देशों को बड़ी संख्या में कोविड–19 के टीके उपलब्ध कराये जायेंगे। इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को भारी मात्रा में टीके मुहैया कराने वाले देश, चीन के असर को कम दिखाना। बैठक में आसियान के देशों को क्वाड की योजनाओं में शामिल करने का भी प्रयास किया गया। यह कहा गया कि क्वाड इस क्षेत्र के अन्य देशों के समुद्र–तटीय संसाधनों की "रक्षा और विकास" करने की क्षमता को मजबूत करना चाहता है। यह स्पष्ट इशारा था उन विवादों पर, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ इस इलाके के कुछ अन्य देशों के बीच मौजूद हैं।

इस बैठक की एक विशेषता यह थी कि इसे यूक्रेन के मामले पर, अमरीका और उसके नाटो मित्रों द्वारा बढ़चढ़कर की जा रही जंगफरोशी के माहौल में आयोजित किया गया था। जापानी विदेश मंत्री ने खुलकर कहा कि क्वाड बैठक में रूस और यूक्रेन पर चर्चा हुई। अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने इसके बारे में बार–बार बात की, हालांकि उनके संयुक्त वक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ख़ास तौर पर, अमरीकी विदेश सचिव ब्लिंकन ने यूरोप में उभर रही स्थिति को "इंडो–पैसिफिक" क्षेत्र की स्थिति के साथ सीधे तौर पर जोड़ा, यह दावा करते हुए कि इन दोनों क्षेत्रों में उनका उद्देश्य है "नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" को बनाये रखना। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अमरीका के लिये, क्वाड दुनिया के स्तर पर उसके सभी दुश्मनों का मुक़ाबला करने के लिये एक विशाल गठबंधन का हिस्सा है, जो सिर्फ़ पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं है।

अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि क्वाड इस असूल की रक्षा करता है कि "किसी देश की अपनी जनता ही अपने देश की विदेश नीति, सांझे संबंधों, गठबंधनों और संगठनों को चुनने के क़ाबिल है"। यह एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधि का बोल रहा है, जिसने क्यूबा, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों को ठीक ऐसा करने के लिये – यानी अपनी विदेश नीति, सांझे संबंधों, गठबंधनों और संगठनों को चुनने के लिए – दंडित किया है। यह क्वाड के पाखंड को साफ–साफ दर्शाता है।

हिन्दोस्तानी विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी टिप्पणी में यूक्रेन के मुद्दे को क्वाड से अलग करने की बहुत कोशिश की। लेकिन यह स्पष्ट था कि क्वाड के माध्यम से हिन्दोस्तान पर, ज़ोरदार दबाव डाला गया कि हिन्दोस्तान यूक्रेन के मामले पर, अमरीका और उसके सहयोगियों के साथ क़दम मिलाकर चले। हिन्दोस्तान का हुक्मरान वर्ग यह सोचता है कि ख़ास तौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी स्पर्धा के चलते, अपने प्रांतीय और वैश्विक मंसूबों को बढ़ावा देने के लिये, क्वाड का इस्तेमाल किया जा सकता है। परन्तु असलियत में, अमरीकी साम्राज्यवाद अपने स्वार्थों के लिए हिन्दोस्तानी राज्य का इस्तेमाल कर रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवादी रणनीति के साथ अपनी लगातार बढ़ती नज़दीकी की वजह से, हिन्दोस्तानी राज्य के लिये, अमरीका से भिन्न किसी प्रकार की विदेश नीति को अपनाने की गुंजाइश बहुत ही सीमित होती जा रही है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दोस्तान के, अमरीका का "रणनीतिक सांझेदार" करार दिये जाने से, हमें अमरीकी दादागिरी से कोई बचाव नहीं मिलता है, और न ही हिन्दोस्तानी राज्य को वे सारे सैनिक और अन्य फ़ायदे मिलते हैं, जिनकी उसे उम्मीद है। उदाहरण के लिए, पिछले साल अप्रैल में, एक अमरीकी युद्धपोत बड़ी हेकड़बाज़ी के साथ, लक्षद्वीप के पास हिन्दोस्तानी समुद्री क्षेत्र से गुजरा था। जब हिन्दोस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी, तब अमरीका ने घोषणा की थी कि वह हिंद महासागर में स्वतंत्र और निर्विरोध आवाजाही के पक्ष में है और इस पर कोई सीमा उसे मान्य नहीं है। इसी तरह, हिन्दोस्तान पर विचार प्रकट करने वाले कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि हालांकि हिन्दोस्तान क्वाड का हिस्सा है, परन्तु उसे एंग्लो–अमरीकन परमाणु पनडुब्बी तकनीक मुहैया नहीं कराई जा रही है, जो पिछले सितंबर में ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी।

"सांझे मूल्यों" पर आधारित बराबरों का समूह होने की बात तो दूर, क्वाड अमरीकी साम्राज्यवादी रणनीति का एक यन्त्र है। हुक्मरान हिन्दोस्तानी सरमायदार वर्ग अपने तंग खुदगर्ज़ हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस गठबंधन में जुड़ा है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके ऐसा करने पर हमारे इलाके में तनाव और जंग का ख़तरा बढ़ रहा है और हमारे लोगों के साम्राज्यवादी युद्ध में फंस जाने का ख़तरा भी बढ़ रहा है। हिन्दोस्तानी लोगों को अपनी एकजुट आवाज़ बुलंद करके यह मांग करना होगा कि हिन्दोस्तान क्वाड से तुरंत बाहर निकले।

http://hindi.cgpi.org/21898

"सांझे मूल्यों" पर आधारित बराबरों का समूह होने की बात तो दूर, क्वाड अमरीकी साम्राज्यवादी रणनीति का एक यन्त्र है। हुक्मरान हिन्दोस्तानी सरमायदार वर्ग अपने तंग खुदगर्ज़ हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस गठबंधन में जुड़ा है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके ऐसा करने पर हमारे इलाके में तनाव और जंग का ख़तरा बढ़ रहा है और हमारे लोगों के साम्राज्यवादी युद्ध में फंस जाने का ख़तरा भी बढ़ रहा है। हिन्दोस्तानी लोगों को अपनी एकजुट आवाज़ बुलंद करके यह मांग करना होगा कि हिन्दोस्तान क्वाड से तुरंत बाहर निकले।

1. समाचार पत्र का नाम–मज़दूर एकता लहर
2. समाचार पत्र की पंजीकरण संख्या–45893/86
3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है–हिन्दी
4. इसके प्रकाशक का नियतकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है – हर महीने की 1 व 16 तारीख
5. समाचार पत्र की फुटकर कीमत – 5.00 रुपया
6. प्रकाशक/मुद्रक का नाम – लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मधूसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय
   पता–ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
7. संपादक का नाम – मधुसूदन कस्तूरी
   राष्ट्रीयता – भारतीय
   पता–ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
8. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है तथा ठीक विवरण – शुभम इंटरप्राईजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21ए, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शाहादरा, दिल्ली से मुद्रित।
9. प्रकाशन का स्थान – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Mar, 2022 Date of publish - 16 Mar, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

सरकार ने आंगनवाडी मज़दूरों के संघर्ष पर एस्मा लगाया

10 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल ने आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी मज़दूरों के ख़िलाफ़ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगाने का आदेश दिया।

मानदेय बढ़ाने और लंबे समय से लंबित अपनी अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिये, इस साल जनवरी से ही दिल्ली में हजारों की संख्या में आंगनवाडी मज़दूर और सहायिकाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 31 जनवरी को पूरी दिल्ली से 22,000 से अधिक आंगनवाड़ी मज़दूर और सहायिकाएं बेहतर वेतन और काम करने की बेहतर स्थिति की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यालय पर एकत्रित हुईं। "लड़ेंगे, जीतेंगे!", "नहीं डरेंगे धमकी से, खीच लेंगे कुर्सी से!" जैसे जोशीले नारे लगाते हुए, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन रोज़ाना जारी रखा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राजघाट पर हजारों की संख्या में आंगनवाडी मज़दूरों और सहायिकाओं ने अन्य क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के साथ मिलकर एक विशाल प्रदर्शन में भाग लिया।

उपराज्यपाल के आदेश के बाद, आंगनवाड़ी मज़दूरों की सेवाओं को "आवश्यक" सेवा घोषित करके उनकी हड़ताल को "अवैध" घोषित कर दिया गया। एस्मा के तहत अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी गयी है।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं पर हुए इस हमले की निंदा करती है। हम हड़ताली मज़दूरों के प्रति हार्दिक समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं।

आंगनवाड़ी मज़दूर और सहायिकाएं श्रमजीवी वर्ग के परिवारों, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, बीमारों और वृद्धों के लिए घर–घर जाकर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामुदायिक सेवाओं में शामिल है पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा। कोविड–19 महामारी के दौरान, सरकार द्वारा उचित सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद, आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कीं।

आंगनवाडी मज़दूरों और सहायिकाओं के कई वर्षों के लंबे और लगातार संघर्ष के बावजूद उनका जबरदस्त शोषण और उत्पीड़ित जारी है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती और न ही उन्हें राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाता है। उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम वेतन से काफी कम है। वर्तमान में, दिल्ली में आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं को क्रमशः 9,698 रुपये और 4,839 रुपये का मामूली मानदेय मिलता है। उन्हें किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता है।

आंगनवाड़ी मज़दूर अपने मानदेय को बढ़ाकर आंगनवाडी मज़दूरों के लिए 25,000 रुपये और सहायिकाओं के लिए 20,000 रुपये करने की मांग कर रही हैं। वे अक्तूबर 2018 से जनवरी 2022 तक के 39 महीने के बकाया भुगतान की मांग कर रही हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा की गयी मानदेय वृद्धि की घोषणा के अनुसार मिलना चाहिये। वे कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के तहत चिकित्सा सुविधा, निश्चित काम के घंटे, सेवानिवृत्ति लाभ, सवैतनिक अवकाश, यात्रा भत्ता और भविष्य निधि (पी.एफ.) की मांग कर रही हैं। महामारी में अग्रिम पंक्ति के मज़दूर बतौर, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और कोविड–19 से प्रभावित श्रमिकों का चिकित्सा खर्च सरकार उठाये। उन्होंने अपनी "बेगारी" को समाप्त करने की मांग उठायी, उन्हें दासी के रूप में देखा जाता है और अधिकारियों की सनक पर उनकी नौकरी समाप्त करने की धमकी दी जाती है।

आंगनवाड़ी मज़दूरों और सहायिकाओं का संघर्ष पूरी तरह से न्यायसंगत है। एक के बाद एक केंद्र और राज्यों की सरकारों ने लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की है।

दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ (डी.एस.ए.डब्ल्यू.एच.यू.), जो संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है, क़ानूनी रूप से एस्मा लगाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी मज़दूरों को सरकारी कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और उनकी सेवाओं को "स्वैच्छिक" माना जाता है। जबकि उन्हें अपनी हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा है, यूनियन ने अन्य रूपों में संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है।

उन्होंने घोषणा की है कि यदि एस्मा को अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, तो वे "सविनय अवज्ञा के माध्यम से एस्मा का उल्लंघन करेंगे और हड़ताल फिर से शुरू करेंगे"। वे आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों में केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और दिल्ली सरकार की सत्ताधारी, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। वे भाजपा और आप उम्मीदवारों को उनके क्षेत्रों में प्रचार करने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से विरोध करेंगे।

http://hindi.cgpi.org/21893

चुनावों का इस्तेमाल

पृष्ठ 1 का शेष

कर दी है। इसे वर्तमान चुनावी प्रणाली में पार्टियों के वोट शेयर और सीट शेयर के बीच के अंतर के समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 41 फीसदी वोट शेयर के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी से ज्यादा सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी के पास 32 फीसदी वोट शेयर के साथ 28 फीसदी सीटें हैं। 13 फीसदी वोट शेयर वाली बहुजन समाज पार्टी के पास 1 फीसदी से भी कम सीटें हैं।

"सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनने" और "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टियों के बीच विधायी निकाय में सीटों के बंटवारे के दो अलग–अलग तरीके हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बहस मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत खामियों से लोगों का ध्यान हटाने का काम करती है। यह केवल एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करता है – वह है, वोट शेयर और सीट शेयर के बीच का अंतर। मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया की यह मुख्य समस्या नहीं है।

मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत दोषों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टियों द्वारा किया जाता है, कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन नहीं, यह तय करने का कोई अधिकार लोगों के पास नहीं है;
- चुनाव अभियानों और मीडिया कवरेज के निजी वित्तपोषण से कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों और अन्य सभी उम्मीदवारों के बीच एक बहुत बड़ी विसंगति होती है;
- निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपनी पार्टी आला कमान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि उन लोगों के प्रति जिनका उन्हें प्रतिनिधित्व करना चाहिए;

हम कम्युनिस्टों को बुर्जुआ भ्रम के साथ सभी प्रकार के सुलह का विरोध करने की जरूरत है कि लोग चुनाव के परिणाम तय कर रहे हैं। हमें इस विचार को खारिज करना चाहिए कि संघर्ष पूंजीपति वर्ग के "दक्षिणपंथी" और "वामपंथी" के बीच है। मार्क्सवादी विज्ञान ने स्थापित किया है कि संघर्ष सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच है।

- मतदान करने वालों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी समय वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है;
- क़ानूनों और नीतियों पर निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित होती है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते;
- निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ताधारी और विपक्षी खेमों में विभाजित हो जाते हैं, कार्यकारी शक्ति एक छोटे से गुट यानी मंत्रीमंडल के हाथों में केंद्रित हो जाती है; तथा
- कार्यपालिका निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती और जो निर्वाचित होते हैं वे मतदान करने वालों के प्रति जवाबदेह नहीं होते।

राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत खामियों को दूर करने की मांग करना मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में है।

मज़दूरों और किसानों के संघर्ष का उद्देश्य है पूंजीपति वर्ग के शासन के स्थान पर मज़दूरों और किसानों का शासन स्थापित करना। तभी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी लालच को पूरा करने की वर्तमान दिशा को बदल कर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में बदलाव के लिए संघर्ष, जो लोगों को सत्ता में लाने की दिशा में जाएगा, इस संघर्ष का हिस्सा है।

http://hindi.cgpi.org/21891